नियम 324 के अन्तर्गत माननीय विधानसभा सदस्य श्री सतपाल सिंह रायजादा, विधायक ऊना द्वारा उठाया गया मामला :—

"प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में पंजाबी भाषा अध्यापकों की पदपूर्ति तथा कार्यरत्त अध्यापकों को नियमित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगें"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति इस प्रकार से है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अर्न्तगत 100 पंजाबी अध्यापकों के पद वर्ष 2007 से सृजित हैं जिसमें से 67 पद पंजाबी अध्यापकों के भरे हुए हैं और वर्तमान में 33 पद रिक्त हैं। चूंकि पंजाबी विषय को एच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है इसलिए विभाग में उन स्कूलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है जहां पर 20 से अधिक पंजाबी छात्र पंजाबी विषय को पढने के इच्छुक हैं तथा जेसे ही वांछित छात्र संख्या वाले स्कूल चिनहित हो जाते हैं तो उन स्कूलों में इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर सरकार विचार करेगी।

वर्तमान में उपरोक्त 67 भरे हुए पदों के विरूद्व 33 पंजाबी अध्यापक नियमित आधार पर कार्यरत हैं जबकि 22 पंजाबी अध्यापक अनुबन्ध आधार पर कार्यरत हैं जिन्हें नियमानुसार वांछित अनुबन्ध सेवाकाल पूर्ण करने उपरान्त नियमित करने कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 12 पंजाबी अध्यापक पिरियड आधार पर कार्यरत है, जो कि वर्तमान में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं।